The Minimum Wages (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017

Act 11 of 2018

Keyword(s):
Wages, Employee, Payment

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्र[illegible]ख्या-20

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 जनवरी, 2018

पौष 22, शक सम्वत् 1939

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 114 / 79-वि-1–18-1(क)7-2017

लखनऊ, 12 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–(1) यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 की धारा 11 का संशोधन

2–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 11 में, उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(1) औद्योगिक या अन्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता/स्वामी अपने कर्मचारी को मजदूरी का संदाय, चेक या एन0ई0एफ0टी0, ई0सी0एस0 या अन्य बैंककारी समाधानों के माध्यम से करेगा :

परन्तु यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य, अस्थायी/ आकस्मिक या नियत अवधि का है तो उसके द्वारा लिखित सहमति और स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने पर उक्त नियोक्ता तीन माह में एक बार अनधिक पाँच हजार रुपये की मजदूरी का नकद भुगतान करेगा।

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारण प्रणाली की व्यवस्था करने तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संदाय को सुनिश्चित करने की तंत्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के विगत साठ वर्षों के दौरान वित्तीय तथा बैंककारी परिदृश्य में परिवर्तन के कारण श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण संदाय सुनिश्चित करने और नगदी अर्थव्यवस्था में कटौती करने के लिए यह अनुभव किया जाता है कि उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगा, यदि मजदूरी का संदाय चेक या अन्य बैंककारी लिखतों के माध्यम से किया जाये। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक विचार–विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चिय किया गया है कि उक्त अधिनियम के अधीन चेक, आर0टी0जी0एस0,एन0ई0एफ0टी0 या अन्य बैंककारी समाधानों के माध्यम से मजदूरी के संदाय का उपबंध किया जाय। किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन किसी श्रमिक को तीन माह की अवधि में अनधिक पाँच हजार रुपये का नगद भुगतान एक बार में किया जा सकता है।

तदनुसार न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 114(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)7-2017
Dated Lucknow, January 12, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Nyuntam Majdoori (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 29, 2017.

THE MINIMUM WAGES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 11 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Minimum Wages Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Minimum Wages (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 11 of Act no. 11 of 1948

2. In section 11 of the Minimum Wages Act, 1948 for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) Every employer/owner of Industrial or other establishment shall make payment of wages to his employee through cheque or N.E.F.T, E.C.S or other banking solutions:

Provided that if the work of employed person is of temporary, casual or fixed term then on his written consent and on submission of a copy of his self attested aadhar card, the employer can make cash payment of wages not more than rupees five thousand once in three months".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Minimum Wages Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing a system of fixation of minimum wages for employees employed in scheduled employments and to provide a machinery for ensuring the payment of minimum wages fixed by the Government to employees.

During the last sixty years of the implementation of the Act, due to change in financial and banking scenario, to ensure full payment of wages to workers and to reduce cash economy, it is felt that the implementation of the Act would be more effective and convenient, if the payment of wages is made through cheque or by other banking instruments. After due consideration and consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to make provision for payment of wages through cheque, RTGS, NEFT or other banking solutions under the said Act, but under specific circumstances, cash payments of not more than Rs. five thousand can be made to a worker once in three months period.

The Minimum Wages (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 807 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2527)–599 प्रतियां--(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 161 सा0 विधायी–2018–(2528)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।